

वस्तुगत उद्देश्य

1. अप्रिय/असमान्य तथा रेल दुर्घटनाओं के दौरान चिकित्सीय बचाव व सहायता प्रदान करना।
2. नियुक्ति से पूर्व चिकित्सीय परीक्षण तथा कार्यरत कर्मचारियों के आवधिक चिकित्सीय परीक्षण का प्रबंध।
3. यात्रा के दौरान जो यात्री बीमार पड़ते हैं उनको आकस्मिक चिकित्सीय सहायता प्रदान करना।
4. बीमारी के कारण होने वाली मानवदिनों की हानि को नियंत्रित करना।
5. रेलवे कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों जिन्होंने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उदरीकृत स्वास्थ्य योजना ग्रहण किया है उनको संपूर्ण व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
6. व्यवसायिक स्वास्थ्य।
7. स्टेशनों तथा रेलवे कालोनियो में पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जाँच।
8. रेलवे स्टेशनों पर बेची जाने वाली खाद्य और आहार की गुणवत्ता की नियमित जाँच।
9. WCA Factory act, FSSA इत्यादि को विभिन्न वैधानिक शर्तों को लागू करना।
10. केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहक तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को लागू करना।